File No. 4(37) 2017/States/RCD/FSSAI Food Safety and Standards Authority of India

(Regulatory Compliance Division)

(A Statutory Authority established under Food Safety and Standards Act, 2006) FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002

Dated 3 October, 2018

<u>Subject</u>: Clarification on rule 2.1.3 of Food Safety and Standards Rules, 2011 regarding appointment of Food Safety Officers

Sir/Madam,

FSSAI is receiving requests from States/UTs for clarification on rule 2.1.3 of FSS Rules, 2011 relating to qualification and training while recruiting the Food Safety Officers.

- 2. In this regard, it is clarified that the educational qualification mentioned at Rule 2.1.3.1 (i) and (ii) of FSS Rules, 2011 are mandatory for recruitment of Food Safety Officer. However, successful completion of training as specified in Rule 2.1.3.1 (iii) of FSS Rules, 2011 is mandatory before notifying such selected officers as Food Safety Officers under Section 37 of FSS Act, 2006.
- 3. FSSAI has developed a training module for Food Safety Officer, the information relating to Induction Training has already been shared with States/UTs vide FSSAI letter No. 17(37)/2017/Trg Policy/RCD dated 09 August, 2017 (sent through email as well as hard copy) wherein the following documents were forwarded:-
 - (a) Study material for Induction Training of Food Safety Officers;
 - (b) List of faculty members empanelled by FSSAI for imparting training to regulatory officers; and
 - (c) Food Safety Training Manual.
- 4. Further, FSSAI has also shared with States/ UTs, the list of empanelled training institute for imparting training i.e. induction training for Food Safety Officer and details of expenditure to be shared by FSSA.

Yours faithfully,

(Daya Shankar)
Joint Director (RCD)

To,

- (i) Commissioner of Food Safety of all States/UTs
- (ii) CITO, FSSAI: with request to upload it on our website.

मिसिल संख्या 4(37)2017/राज्य/आरसीडी / एफ.एस.एस.ए.आई.

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

(खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)

(विनियामक अनुपालन विभाग) एफ.डी.ए.भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली—110002

दिनांक : 🥰 अक्टूबर, 2018

विषय : खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम 2.1.3 पर स्पष्टीकरण। महोदय,

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती करते समय योग्यता और प्रशिक्षण से संबंधित एफएसएस नियम, 2011 के नियम 2.1.3 पर स्पष्टीकरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अनुरोध प्राप्त हो रहें हैं।

- 2. इस संबंध मे यह अवगत कराया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 2.1. 3.1 (i) अथवा (ii) में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यताएँ, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अनिवार्य है। तथापि धारा 2.1.3.1 (iii) में दर्शाई गई "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण" की शर्त ऐसे नियुक्त अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के धारा 37 के अंतर्गत उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने से पूर्व होना अनिवार्य है।
- 3. आरंभिक प्रशिक्षण से संबंधित अन्य जानकारियाँ पत्र सं. 17(37)/2017/ट्रे. पॉलिसी/आर.सी.डी. दिनांक 9 अगस्त, 201**?** के द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :--
 - (क) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के आरम्भिक प्रशिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री,
 - (ख) नियामक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध संकाय सदस्यों की सूची, और
 - (ग) खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण मैनुअल।
- 4. इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नामित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची और एफएसएसए द्वारा इन प्रशिक्षण पर किए जाने वाले व्यय का विवरण साझा कर चुका है।

भवदीय, (दया शंकर) संयुक्त निदेशक (वि.अ.वि.)

सेवा मे,

- 1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
- 2. मुख्य सूचना प्रद्योगिकी अधिकारी, एफएसएसएआइ : आपसे अनुरोध है कि इसे हमारी वैबसाइट पर अपलोड करावे ।